(vi) *Need for action against persons who violated freedom of Press*

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक 19 फरवरी को दैनिक समाचार पत्र "आवन्तिका" के कार्यालय में पुलिस कर्मियों ने अनाधिकार प्रवेश पर समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक, सह सम्पादक तथा कम्पीजिटर्स पर आक्रमण किया और उन्हें जख्मी कर दिया गया । एक दिन पूर्व शहर में उग्रवादी तत्वों द्वारा शहर मे अशान्ति की स्थिति निर्मित होने से तथा उस पर प्रशासकीय नियंत्रण में विफलता के समाचार 19 तारीख के दैनिक में प्रकाशित हुए थे । जिससे प्रशासन उक्त समाचार पत्र से अपनी विफलता का बदला लेने के इरादे से पुलिस कर्मियों को समाचार पत्र पर विद्वेषजनिक कार्यवाही करना चाहता था। जब कि समाचार पत्र ने वस्तुस्थिति का वर्णन किया था। इस प्रकार समाचार पत्र को आतंकित करने वाली कार्यवाही प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने वाली जैसी कार्यवाही है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्रेस की आजादी को कायम रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर प्रेस की आजादी की रक्षा करें।

(vii) *Punishment of offenders responsible for killing of persons in Etawah, U.P.*

श्री राम सिंह शाक्य (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, म नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

1.2.83 रात्रि 9 बजे इटावा जनपद के ग्राम कछपुरा निवासी एक ठाकुर परिवार के आठ सदस्यों, पिता, बुआ, पत्नी, छोटा भाई व चार छोटे मासूम बच्चों की नेकसे गिरोह के लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है । अभी तक हत्यारे व उस के संरक्षकों में से किसी को भी गिरफतार नहीं किया गया है और न जेल ही भेजा गया है । इस कारण क्षेत्रीय जनता आतंकित है और भय का वातावरण बना हुआ है ।

इस संदर्भ में लोक दल इटावा व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा महामंत्री, बी० एस० टी० कालेज बलदई (जनपद इटावा) के प्रधानाचार्य एवं अन्य स्थानीय सम्मानित लोगों ने क्रमश: दिनांक 28 जनवरी, 1983, 4 अक्टूबर, 1982, 4 नवम्बर, 1982, 24 जनवरी, 1983 व 18 जनवरी,83 को अलग-अलग पत्र लिख कर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं अन्य उच्चाधिकारियों को यह सूचित किया था कि कछपुरा गांव के आस-पास नेकसे गिरोह संगठित एवं सक्रिय हैं । कब किसकी हत्या कर दी जाएगी, कोई निश्चित नहीं है । इस में उक्त परिवार भी सम्मिलित था । लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सम्मानित लोगों की एक भी नहीं सुनी और ऐसी भयावह हत्याकांड घटित हुई । यह भी स्मरणीय है कि उक्त हत्याकांड में उक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का मुखबीर एवं संरक्षण गिरोह के ऐसे लोग, जिन्होंने 40–50 हत्यायें अब तक कर चुके हैं, शामिल हैं । लेकिन उनका नाम अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है । इस प्रकार स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन इस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है ।

अत: इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह निवेदन है कि अविलम्ब इस घटना से संबंधित दोषी लोगों को सख्त सजा दिलाने एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।